(14)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6 / वि01–1052 / 16 645 पटना, दिनांक– 15/3/17

प्रेषक :

ई–मेल

सतीश चन्द्र मिश्र,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक),
(रूपांकण एवं योजना प्रमण्डल छोड़कर)

विषयः– **वित्तीय वर्ष–2016–17 में ''मुख्यमंत्री चापाकल योजना'' सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–508, दिनांक–04.03.2017

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष–2016–17 में ''मुख्यमंत्री चापाकल योजना'' सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। अगर आपके प्रमण्डल अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो तो मदवार आवंटित राशि में से व्यय नहीं होने वाली राशि दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रत्यार्पित (Surrender) करना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निदेश का अनुपालन अधिकांश प्रमंडलों द्वारा नहीं किया गया है, जो खेदजनक एवं दिये गये निदेश की अवहेलना है।

प्रधान सचिव द्वारा नियमित रूप से राज्य योजना बजट अतर्गत सभी शीर्षों के तहत आवंटन एवं व्यय की गहन सूक्ष्म समीक्षा की जा रही है एवं निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में माह के अंतिम सप्ताह में प्रत्यार्पण स्वीकार नहीं किया जाय।

पुनः स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष–2016–17 में ''मुख्यमंत्री चापाकल योजना'' सहित राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। अगर आपके प्रमण्डल अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो तो मदवार आवंटित राशि में से व्यय नहीं होने वाली राशि दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रत्यार्पित (Surrender) करना सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर राशि का प्रत्यार्पण किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध दायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 15.3.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक– 645 दिनांक 15/3/17

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (रूपांकण एवं योजना अंचल छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेश का अपने स्तर से समीक्षा कर ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

(हस्ताक्षर) 15.3.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक– 645 दिनांक 15/3/17

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि पत्र की प्रति विभागीय वेवसाईट पर आज हीं अपलोड किया जाय।

(हस्ताक्षर) 15.3.17

(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

RIDF-LETTER